मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2005 (फाल्गुन 2, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री गृह, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य, होशंगाबाद जिले के अनेक ग्रामों में पर्याप्त बिजली न मिलने से बोनी न होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रेखा रत्नाकर, सदस्य, शाजापुर जिले के -

(क) आगर नगर स्थित बालक माध्यमिक विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(ख) बड़ोद नगर के हाटपुरा बाजार एवं कायस्थ मोहल्ला स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(ग) आगर नगर स्थित पुलिस थाना के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(घ) आगर नगर स्थित कन्या अ.जा. छात्रावास के भवन एवं बाउन्ड्री वाल की मरम्मत कराये जाने, तथा

(ङ) आगर नगर के छावनी स्थित बालक माध्यमिक विद्यालय के बाउन्ड्री वाल का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(2) श्री ताराचंद गोयल, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम कनासिया में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम कनासिया से आगरा-बाम्बे रोड तक पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम कड़ौदिया से सालनाखेड़ी तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम सालाखेड़ी के पास छोटी कालीसिंध नदी के मढ़ीघाट पर पुल बनाये जाने ; तथा

(ङ) ग्राम करंज से तराना तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(3) श्री फूलचन्द्र वैदिया, सदस्य, शाजापुर जिले के -

(क) ग्राम भैसोदा से बड़ागांव तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम गोन्दलमऊ, कोटड़ी, लटूरी गहलोत, कचनारिया एवं डोंगरगांव में 132 के.वी. के ग्रिड लगाये जाने,

(ग) नलखेड़ा नगर स्थित कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने ; तथा

(घ) ग्राम मोड़ी से लटूरी तक सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 19 फरवरी, 2005